संक्षिप्त

पेंशनर्स डे मनाया

पाटन, (निसं)। नीमकाथाना पेंशनर समाज के तत्वावधान में जेपी पैलेस में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में पेंशनर डे मनाया गया। वक्ताओं ने पेंशनर की समस्याओं के उपर विस्तार से प्रकाश डाला।सम्मेलन को रघुराज सिंह त्यागी, प्रभु दयाल टेलर, जीडी यादव, रामगोविद राव, बलवदा एवं रामदेव सिंह यादव ने संबोधित किया। उपभोक्ता भंडार से दवा मिलने के क्रम में आर जी एच कार्ड बनवाने पेंशनर भवन हेतु जमीन आवंटन, उत्पन्न समस्याओं पर विचार किया गया। समारोह में शंकर लाल शर्मा, जसबीर चौहान, बनवारी लाल यादव, बजरंग लाल शर्मा पटवारी सहित सैकड़ों पेंशनर उपस्थित रहे। पूर्व मे प्राचार्य चंद्रशेखर शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया

शीत लहर से जन जीवन अस्त-व्यस्त

उदयपुरवाटी, (निसं)। क्षेत्र में शीत लहर के चलते लोगों का जन जीवन अस्त व्यवस्त हो गया। ठण्ड के कारण लोग सुबह से शाम तक गर्म कपडों में लिपटे रहते हैं। सूरज की तेज धूप नहीं निकलने के कारण लोग ठण्ड से परेशान है। शीत लहर के कारण लोग सुबह शाम अलाव जलाकर बचाव कर रहे हैं। पाला पडने की सम्भावना हो रही है। कृषि विभाग ने शीत लहर ओर पाले से बचने के उपाय भी किसानों को दे रहे है। जिससे फसल को बचाया जा सके।

राजेश अग्रवाल सम्मानित होंगे

झुंझुनूं,(निसं)। जिला पर्यावरण सुधार समिति के सचिव राजेश अग्रवाल का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर वीर महाराणा प्रताप समता पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया। संस्था सचिव राजेश अग्रवाल को 19 दिसम्बर रविवार को गोल्डन तुलिप होटल जयपुर में सम्मानित किया जाएगा। इससे पूर्व में भी अग्रवाल 2004 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, 2017 में गरिमा बालिका पुरस्कार, 2019 में इन्डो- नेपाल समरसता पुरूस्कार से भी सम्मानित हो चुके है।

जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए

झुंझुनूं,(निसं)। लायंस क्लब झुंझुनूं द्वारा सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को पुलिस लाइन फाटक के पास की गरीब बस्ती में स्वर्गीय भगवती देवी रूंगटा धर्मपत्नी स्वर्गीय सत्यनारायण रूंगटा मंड्रेला निवासी की स्मृति में ललित रूंगटा नासिक के आर्थिक सौजन्य से श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्थान के माध्यम से कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जानकारी देते हुए क्लब पीआरओ डॉ. डीएन तुलस्यान ने बताया कि कंबल वितरण कार्यक्रम में क्लब सचिव शिव कुमार जांगिड, क्लब कोषाध्यक्ष किशन लाल जांगिड, डॉक्टर देवेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर एनएस नरूका, मनोज आलडिया एवं कार्यक्रम संयोजक महिपाल सिंह सहित अन्यजन उपस्थित थे।

तबादला करने की मांग

सुजानगढ (का.स)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओ द्वारा एडीएम डॉ. नरेन्द्र चौधरी को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मास्टर भंवरलाल कन्या महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य का स्थानान्तरण करने की मांग की है।

राज्य में ऐसी सरकार चल रही जिसके विधायक ही इससे परेशान हैं : शर्मा

झुंझुनूं, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को आयोजित जन आक्रोश रैली में जिले के सभी क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आमजन एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन मांवडिया के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं चौमूं विधायक रामलाल शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर सरकार पर जमकर प्रहार किया। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में ऐसी सरकार चल रही जिसके विधायक ही इससे परेशान हैं तथा कांग्रेस विधायकों को बजरी एवं खनन माफिया पर रोक लगाने के लिए सरकार को आत्मदाह की चेतावनी तक देनी पडती है। रैली को संबोधित करते हुए सूरजगढ विधायक सुभाष पूनिया ने कहा कि सरकार की विफलताओं का आलम यह है कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जनता के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने धरना तक देना पड रहा है।

झुंझुनूं में भाजपा की जनाक्रोश रैली में मंच पर जिले भर से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहें और कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बिगुल बजाया।

- भाजपा की विशाल जन आक्रोश रैली में पहुंचे हजारों लोग

जिलाध्यक्ष पवन मांवडिया ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति का ही परिणाम है कि आज राहुल गांधी को बार बार यह कहना पडता है कि वह हिन्दू हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षों से देश के माथे पर लगे इस कंलक को हटाने का काम किया है।

रैली के पश्चात जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में पार्टी के जिला प्रभारी गोवर्धन वर्मा, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरि, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, रैली के जिला संयोजक राजेन्द्र भांबू, सह संयोजक राजेश दहिया, प्यारे लाल ढूकिया, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विशम्बर पूनिया, जिला महामंत्री योगेन्द्र मिश्रा, सरजीत चौधरी, जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा, भाजपा नेता राजेश बाबल, जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, सुनिल लाम्बा, मदन लाल सैनी, रामनिरंजन पुरोहित, सुशीला सीगडा, जिला मंत्री महावीर ढाका, सुनिता स्वामी, रिशाल कंवर, नीता यादव, रामस्वरूप सैनी, राकेश पाटन, पवन शर्मा गुढा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ओमेंद्र चारण, विकास शर्मा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रतन सिंह तंवर सहित अन्य कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भाजपा नेता राजेंद्र भाम्बू के जिला संयोजन में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली में जिले भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और केशव आदर्श स्कूल में हुई विशाल आम सभा में सभी वक्ताओं ने राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बिगुल बजाते हुए घोर शब्दों में प्रदेश सरकार की गलत नीतियों की भर्त्सना की।

विद्यालयों में कक्षों के लिए 1 करोड़ 85 लाख रूपए स्वीकृत

सादुलपुर, (निसं)। सादुलपुर विधायक पमदश्री डॉ. कृष्णा पूनिया के अथक प्रयासों से राजगढ तहसील के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन, कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी कक्ष और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नाबार्ड योजना से 185 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जिसमें स्थानीय विधायक पद्मश्री डॉ. कृष्णा पूनिया की अनुशंसा पर गांव बास कांजण, हांसियावास, मिठ्डी केसरीसिंह, आच्छापुर, बींजावास, बिसलाण, चनाना छोटा, चुबकिया ताल, बालिका प्रवेशिका संस्कृत हांसियावास, न्यांगल बडी तथा रामसरा ताल आदि विद्यालयों में भवन, कम्प्यूटर लैब, लाइब्रेरी कक्ष और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 1 करोड 85 लाख रुपए रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की हैं।

पट्टा जारी किया

सादुलपुर, (निसं)। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत रमेश जांगिड डिप्टी कमांडेट को कृषि भूमि का पट्टा जारी किया।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 35/2021
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती अरूणा उमेश अग्रवाल पत्नि श्री उमेश अग्रवाल प्लाट नं. 910/ए, सतरंजी पुरा, क्वेटा कॉलोनी, काली माता मंदिर के पास, भांडेवाडी, नागपुर, महाराष्ट्र ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा धर्मशाला, के.नं.598/ए, रोड थाना मोड के पास, ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 18.02.2022

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

निर्वाचन विभाग ने बीएलओं के मानदेय को आयकर गणना में लेने पर लिया यूटर्न

झुंझुनूं,(निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा पूरे राज्य में एक साथ विरोध करने के कारण निर्वाचन विभाग ने बीएलओ के मानदेय को आयकर गणना में लेने पर यूटर्न लिया है। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) के विरोध के कारण राज्य के निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन कार्य में लगे बीएलओ एवं सुपरवाइजर को मिलने वाले 6 हजार रूपये वार्षिक मानदेय को आयकर में जोडने के आदेश को लंम्बित करने के आदेश जारी किए हैं।

- संगठन के विरोध के कारण निर्वाचन आयोग ने आदेश निलंम्बित किया : राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत

राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष अशोक कटेवा एवं जिला मंत्री जगदीश सिंह ढाका ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि राज्य सरकार के निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन कार्य में लगे बीएलओ को मिलने वाले 6 हजार रूपये वार्षिक मानदेय को आयकर में शामिल करने का आदेश 7 दिसम्बर को जारी कर, बीएलओ कार्य में लगे कर्मचारियों से सहमति लेने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया था। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग व प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने इस तुगलकी आदेश के विरोध में राज्य भर में आंदोलन करने तथा आदेश वापस लेने की मांग की थी।

संगठन के विरोध और आन्दोलन के ऐलान के बाद राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने आदेश जारी कर बीएलओ एवं सुपरवाईजरों को दिये जाने वाले मानदेय के सन्दर्भ मे भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से मार्गदर्शन मांगे जाने के साथ साथ, अन्य राज्यों की स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है अत: स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होने तक पूर्व में जारी आदेश की कार्यवाही को लंम्बित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक कटेवा और जिला मंत्री जगदीश सिंह ढाका ने बताया कि संगठन के विरोध के कारण निर्वाचन आयोग ने आदेश निलंम्बित किया है।

बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन

किसान एवं जनवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एसबीआई शाखा झुंझुनूं के सामने निजीकरण के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर आन्दोलन का समर्थन किया।

झुंझुनूं,(निसं)। बैंकों के निजीकरण के विरोध में किसान एवं जनवादी संगठनों के प्रतिनिधी प्रदर्शन में शामिल हुए व अपना पूर्ण समर्थन किया। संसद के चालू सत्र में दो बैंकों को बेचने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2021 देश के विकास के नाम पर अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार लाने जा रही है। जिसके विरोध में बैंक कर्मचारी सडकों पर उतर आए हैं। बैंकों के निजीकरण हो जाने से आम लोगों को लूटा जाएगा इस लिए संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हैं व बैंक कर्मचारियों के साथ किसान मजदूर भी कंधे से कंधा मिलाकर लडेगा। आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एशोसियशन के आव्हान पर एसबीआई शाखा झुंझुनूं के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर विरोध किया गया व आन्दोलन का समर्थन किया। इस अवसर पर सर्वहारा एकता मंच झुंझुनूं के संयोजक बजरंग लाल एडवोकेट, क्रान्तिकारी किसान यूनियन के पोकर सिंह झाझडिया, किसान नेता शुभकरण महला, हरफूल सिंह बलौदा, कैप्टन मोहनलाल, धर्मपाल सिंह डारा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर किसान संगठन की ओर से समर्थन देने वालों में बचनसिंह मीणा, रामनिवास नूनिया, रणधीर सिंह झाझडिया शामिल हुए व आन्दोलन का अपना समर्थन व्यक्त किया। सभी ने साथ खडे रहने का आश्वासन भी दिया।

- किसान एवं जनवादी संगठनों के प्रतिनिधी प्रदर्शन में शामिल हुए
- बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारी उतरे सड़कों पर

मण्डावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई

मण्डावा,(निसं)। शुक्रवार को मण्डावा पंचायत समिति की सभागार में प्रधान शारदा देवठिया की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह पूनियां ने बताया कि बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए महात्मा गांधी नरेगा एक्शन प्लान का अनुमोदन किया गया। इसमें कुल 25 ग्राम पंचायतों में कुल 2,49,971 मानव दिवस सृजित किए जाएंगे एवं अनुमानित व्यय लगभग 1020 लाख रूपए होगा। सहायक अभियन्ता प्रेम बिहारी माथुर ने गत बैठक की कार्यवाही पढकर सुनाई जिस पर संबधित अधिकारियों ने इन पर हुई प्रगति से अवगत करवाया। तहसीलदार सुनीता रैवाड ने रास्ता कटान की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रशासन गावों के संग अभियान के फोलोअप शिविर की चर्चा की।

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

चूरू, (कासं)। शुक्रवार अलसुबह आये कोहरे के कारण अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई।

रतननगर एएसआई कैलाशचंद्र ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि ढाणी लालसिंह पुरा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक की भिड़ंत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी सोहेल पुत्र युसूफ खान व सोनू खान पुत्र असलम खान निवासी वार्ड नंबर 27 रामगढ़ से बाइक पर सवार होकर चूरू मजदूरी करने जा रहे थे। ढाणी लालसिंह पुरा के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खानू खां पुत्र असलम खां 23 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वही सोहेल पुत्र युसूफ खान की राजकीय भरतिया अस्पताल चूरू में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों के शव को रतननगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। जहां पोस्टमार्टम के बाद षव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अज्ञात वाहन चालक वाहन सहित फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है।

चूरू के निकट ढ़ाणी लाल सिंह पुरा के पास छाये घने कोहरे के कारण अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई।

शिविर में पट्टे सौंपे

सुजानगढ, (का.स)। स्थानीय वाल्मीकि समाज के भवन में वार्ड 45 व 47 के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आयुक्त सोहनलाल नायक, पार्षद ओमप्रकाश सियोता, तरूण सियोता, प्रदेश सियोता ने तीन पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर पार्षद तरूण सियोता ने आयुक्त सोहनलाल को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में स्थित तलाई की खुदाई करवाकर पक्का डेम व पंप सेट बनाने की मांग की। साथ ही वार्ड में बडे नाले के निर्माण की मांग करते हुए सीवरेज के कार्य को जल्द वार्ड में पूरा करने की मांग की। जिस पर आयुक्त ने शीघ्र गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इससे पहले नगरपरिषद आयुक्त सोहनलाल ने वार्ड में चल रहे सीवरेज कार्यो का निरीक्षण किया।

शहीद वीरांगनाओं और सैनिकों की बदौलत ही झुंझुनूं जिले का नाम रोशन है : मंत्री ओला

झुंझुनूं,(निसं)। 50 वां विजय स्वर्णिम दिवस समारोह सूचना केन्द्र सभागार में परिवहन राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इस मौके पर सूचना केन्द्र सभागार में 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों एवं शहीद वीरांगनाओं को शॉल ओढाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश सेवा के लिए झुंझुनूं के बेटे हमेशा आगे रहते हैं, यहीं कारण है कि यहां के शोर्य की गाथा पूरे देश में पहचानी जाती है। उन्होंने शहीद वीरांगनाओं और इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को प्रणाम करते हुए कहा कि इनकी बदौलत ही झुंझुनूं जिले का नाम रोशन है। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने इस अवसर पर कहा कि जिले में हजारों की संख्या में पूर्व तथा वर्तमान सैनिक है जो अपने आप में यह दर्शाता है कि यहां की मिट्टी में देश सेवा का जज्बा है। यहां की माताएं अपने लाडलों को बचपन से ही देश सेवा की गाथाएं सुनाती है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि उनके परिवार का भी देश सेवा से नाता रहा है। उन्होंने कहा कि बचपन की पुरानी यादें आज फिर से ताजा हो गई। जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वीरों की इस धरती से उनका भी नाता है। उन्होंने कहा कि देश सेवा में झुंझुनूं जिले ने अपनी भूमिका हमेशा अग्रणी रूप से निभाई है। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमाण्डर परवेज अहमद हुसैन एंव कर्नल नारायण सिंह जानू, कैप्टन टीपू सुल्तान, कैप्टन मोहन लाल, कैप्टन भरत सिंह, सुबे. हनुमान प्रसाद, हव. कैलाश सुरा, राजपाल फौगाट, अमरचन्द खेदड, कैप्टन रंगपाल ठोलिया, विधाधर एवं कार्यालय के प्रेम प्रकाश सहायक प्रशासनिक अधिकारी, धर्मेन्द्र कुमार, निक्सन, सुधीरा देवी, सुमन देवी, बनवारीलाल, बबीता देवी, शौकत अली, सुरेश सिंह, बलबीर सिंह आदि उपस्थित रहे। इससे पूर्व 50वें विजय स्वर्णिम दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर अतिथियों की और से पुष्प चक्र अर्पित किए गए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला, जिला कलक्टर उमर दीन खान, पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी, कमाडर परवेज अहमद, एडीएम जगदीश प्रसाद, एसडीएम शैलेश खैरवा, दिनेश सुंडा, कैप्टन मोहन लाल सहित बडी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे।

झुंझुनूं में मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर) जिला हनुमानगढ़

क्रमांक :- न.पा.रा./कृ.भू./21/2016 दिनांक 17.12.2021

प्रारूप-10

(नियम 6(7) देखिए)

-: लोक सूचना :-

श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति राजपूत साकिन चक 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक परियोजना के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हैः-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला हनुमागनढ़ तहसील रावतसर	17डी. डब्ल्यू.डी.	प.न.168 410 (7)	किला नं. 18 की 0.253 है. 19 की 0.253 है, कि.सं. 20 की 0.113 है. कुल तादादी 0.6190 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
(अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतसर)

भारत सरकार Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर Integrated Regional Office, Jaipur

ए/218 & बी 216 "अरण्य भवन" झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004/ A-218 & B-216, ARANYA BHAWAN, JHALANA INSTITUTIONAL AREA, JAIPUR-302004 दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

पत्र संख्या-84/राज/06/25/2021/एफ.सी. दिनांक: 15th December, 2021

सेवामें, शासन सचिव(वन), सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन, जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/ROAD/143467/2021)

विषय: Diversion of 0.0573 ha of forest land for "Construction of Approach Road for Proposed Nayara Energy Limited (Formerly Essar Oil Ltd.) Retail Outlet on Jaipur to Sikar Road NH-52 (Old NH-11) Between KM Stone 288-289 (Ch: 288.715 - 288.750) in the part of Khasra No-3433/3426 & 3431/3412, At Village - Sargoth, Tehsil - Shrimadhopur, District – Sikar (Rajasthan)". सन्दर्भः शासन सचिव, राजस्थान का पत्रांक-प.1(58)वन/2021, जयपुर, दिनांक-09.09.2021. महोदय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रकरण के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकित परियोजना हेतु 0.0573 हे0 वनभूमि के प्रेत्यावर्तन एवं 00 वृक्ष के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In-principle/Stage-I approval) निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है: 1. Legal status of the forest land shall remain unchanged. 2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department by plantation of 100 trees over an area of 0.50 ha de-graded forest land in Compartment No. 1, Survey/ Khasra No.- 2704, Village- Bhadalo ki Dhani (Palsana), Teshil- Sikar, DistrictSikar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mon-oculture of any species may be avoided. 3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. 4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 0.0573 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. 5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. 6. Greenery shall be maintained around the boundary and between the the entry and exit of the fuel pump by the User Agency. 7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. 8. No tree felling shall be involved in the implementation of this project. 9. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. 10. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government 11. No labour camp shall be established on the forest land. 12. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. 13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. 14. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. 15. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. 16. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. 17. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. 18. The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. 19. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11 42/2017-FC dt 29/01/2018. 20. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. 21. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal. 22. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office. The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय, (श्रवण कुमार वर्मा), उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय ग्राम पंचायत भोजूसर उपाधियान पंचायत समिति सरदारशहर (चूरू)

क्रमांक :- एफ()/21-22/12-16 दिनांक 16.12.2021

ई-निविदा सूचना 01/2021-22

ग्राम पंचायत भोजूसर उपाधियान (पंचायत समिति सरदारशहर) में पन्द्रहवा वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्वीकृत निम्नांकित कार्य के लिए मय दो वर्ष की डिफेक्ट लाईबिलिटि अवधि के जो निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिए उपयुक्त श्रेणी के राजस्थान/केन्द्र सरकार के में पंजिकृत संवेदकों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि/50 रू बिड सिक्योरिटी स्टाम्प	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फिस	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	श्री फेज टयुबवेल निर्माण पातलीसर छोटा	9.97	19940.00	500	500	190 Days

ऑनलाईन फार्म डाउनलोड/अपलोड करने की दिनांक	दिनांक 17.12.2021 को समय दोपहर 2.00 बजे तक दिनांक 23.12.2021 को समय दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क बिड सिक्योरिटी घोषणा पत्र व अन्य दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 24.12.2021 को समय दोपहर 12.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 24.12.2021 को समय दोपहर 3.00 बजे

UBN - ZCR2122WSOB00976

निविदा संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्तें कार्यालय ग्राम पंचायत में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है एवं वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/, https://eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भोजूसर उपाधियान

सरपंच
ग्राम पंचायत भोजूसर उपाधियान